के एस. गरेवाल, जे. के समक्ष

बालबीर सिंह और *अन्य – याचिकाकर्ता*

बनाम

राज्य हरियाणा और *अन्य – उत्तरदाता*

C.W.P. नहीं. 6992 ऑफ 1988

18 नवंबर, 2005

भारत का संविधान, 1950 –अनुच्छेद 226 – खेल विभाग कोच के पदों के विज्ञापन, सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए –उत्तरदाताओं संख्या न. 3 से 5 की नियुक्ति – चुनौती उपचार – उत्तरदाताओं की याचिका कि रिक्तियों को रिक्तियों पर ले जाया गया और सही ढंग से दिखाया गया कि आरक्षण सरकारी निर्देशों के अनुसार – पेंडेंसी के दौरान, सभी याचिकाकर्ताओं को रोजगार मिल गया, कुछ सेवानिवृत्त हो गए या इस्तीफा दे गए – याचिकाका कोई न वजूद रहने की वजह से यह खारिज होने के लिए उत्तरदायी है– कोच का चयन – अधिक समझदार और परिणाम उन्मुख तरीकेमें होना चाहिए – आरक्षण व्यक्तिगत खेल विषयों के लिए नहीं, लेकिन रोटेटरी बनाया जाना चाहिए – जहां केवल एक पद खाली पड़ा है, वहां आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि एक पद को आरक्षित करने से 100% आरक्षण होगा जो कि कानून के खिलाफ है।

अभिनिर्धारित, समकालीन खेल अत्यंत तकनीकी और विशेष है। एक सफल खिलाड़ी, वह एक जिमनास्ट, एक पहलवान या एक बॉक्सर हो, सबको योग्य और समर्पित कोच से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यदि उसे उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना और अपने राज्य और देश के लिए लॉरेल जीतना है। एक कोच वह होता है जिसने अनुशासन में निश्चित स्तर की सफलता हासिल की है और कोचिंग विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। एक कोच और उसके शिष्य के बीच का संबंध एक मजबूत और पवित्र बंधन पर आधारित है। इसकी तुलना एक गुरु और उसकी शिष्य के बीच पारंपरिक संबंध से की जा सकती है। यह बिना कारण ही सब कहा जा रहा है। भारत में खेल का स्तर काफी अच्छा है। युवा खिलाड़ी मेहनती और समर्पित हैं, लेकिन यह निराशाजनक है कि इन खिलाड़ियों को उच्च स्तर की कोचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य देशों के खिलाड़ियों से मेल नहीं खाती ।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित, अगर हरियाणा राज्य को उच्च खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है,तो खेल और युवा कल्याण विभाग को कोच का चयन अधिक समझदारी और परिणाम उन्मुख तरीके से करना चाहिए। यह भी कि आरक्षण व्यक्तिगत खेल के लिए नहीं लेकिन रोटेट्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, वहाँ प्रत्येक श्रेणी। बैडमिंटन,बॉक्सिंग,क्रिकेट,फुटबॉल,जिमनास्टिक,हॉकी,कबड्डी,लॉन टेनिस,स्केटिंग,टेबल टेनिस में केवल एक ही पोस्ट थी। इन विषयों में से किसी में भी आरक्षण नहीं हो सकता था क्योंकि एक पद को आरक्षित करने से कुल आरक्षण माना जाता,जो कि एपेक्स कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ था। (पैरा 16)

विनोद शर्मा एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए।*

संदीप एएजी, हरियाणा,

अशोक ठुकराल, एडवोकेट, *उत्तरदाता नंबर 3 और* 4 के लिए।

आदेश

के.एस. गरेवल, जे.

(1) जो भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उत्कृष्टता क्यों नहीं है,उसका उत्तर इस मामले में मिल सकता है।

(2) बलबीर सिंह और गिरीश चंदर, याचिकाकर्ता न.1 और 4 जिमनास्टि है। केशो दत्त,याचिकाकर्ता न.2,पहलवान है। अनिल कुमार और जमन्दर सिंह दहिया याचिकाकर्ता न.3 और 5 मुक्केबाज हैं। प्रत्येक ने दावा किया कि उन्हें विभिन्न स्तरों पर कोच के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि वे अपने विषयों में कोच के रूप में नियुक्ति पाने में विफल रहे।

(3) खेल विभाग ने जिमनास्टिक और रेसलिंग(श्रेणी),बॉक्सिंग(श्रेणी।।) सहित विभिन्न विषयों में श्रेणी 1 और ।। के पदों का विज्ञापन किया था। दो श्रेणियों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित की गई थी। श्रेणी । में 20पद थे और उनमें से सभी आरक्षित थे,अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए15,पिछड़े वर्ग के लिए 3और2 पूर्व सैनिकों के लिए। यह निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 15 में से 5 पद,अगर भरे न गए तो सामान्य श्रेणी से भरे जा सकते हैं।

(4) श्रेणी II में विज्ञापित पदों की कुल संख्या 68 थी,जिसमें से 47पद आरक्षित थे। अनुसूचित जातियों के लिए 22पद, पिछड़े के लिए6, पूर्व सैनिकों के लिए 15 और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 4 थे। एक यह भी मांग थी कि,22अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों में से 8,15 पूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों में से4, अगर न भरे गए तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे।

(5) याचिकाकर्ता के मुताबिक,खेल विभाग की चयन समिति ने मनमाने ढंग से काम किया,इस के सदस्य अनुभवी और तकनीकी रूप से परिपक्व नहीं थे। साक्षात्कार के समय कोई सवाल न पूछा गया। अंक देते समय अनुभव,खेल दक्षता पर विचार न किया गया। याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया,लेकिन उन्हें पता चला कि उनका चयन नहीं किया गया। चयनित उम्मीदवारों की सूची को गुप्त रखा गया।

(6) याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया कि बलबीर सिंह और गिरिश चंदर बहुत अच्छे उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया,जबकि एन.सत्यम और गोपाल शर्मा, उत्तरदाता न.3 और 4 को चुना गया था। उक्त याचिकाकर्ता की योग्यता उत्तरदाता न.3 और 4 से अधिक थी।

(7) 12 फरवरी,1988 के विज्ञापन के लिए संदर्भ दिया गया था (अनुलग्नक पी -6) और यह उजागर किया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण कानून का उल्लंघन था। वास्तव में श्रेणी I की सभी सीटें आरक्षित थीं और इसने एकाधिकार बन गया और इससे अन्य समुदाय के उम्मीदवारों के वैध दावों से इनकार किया गया।श्रेणी II में 68पदों में से47 को सेवा दी गई, जो कि अत्यधिक थी। चयन मनमाने तरीके से बिना किसी मापदंड के किया गया था। उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिए गए थे। मौखिक साक्षात्कार पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, जिसे विशेष परीक्षण के रूप में नहीं लिया जा सकता और केवल एक अतिरिक्त परीक्षण के रूप में लिया जा सकता है, और वो भी तब,जब चयन के सदस्य समिति उच्च अखंडता, कैलिबर और योग्यता के पुरुष हो। चयन के लिए एन.आई.एस. से कोच को बुलाने की परंपरा नहीं की। पूरा चयन गलत तरीके से हुआ।

(8) उत्तरदाता न.1 और2 प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपने लिखित बयान संयुक्त निदेशक खेल के माध्यम से दर्ज करवाए। याचिकाकर्ताओं के विभिन्न औसत नियंत्रित थे। यह अनुरोध किया गया कि उत्तरदाता न.3-5 का चयन विशुद्ध रूप से,साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। यह कहा गया कि सामान्य रूप से चयन समिति के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान से विशेषज्ञ बुलाए गए लेकिन अन्य

उच्च कैलिबर के कोच थे। संस्थान से कोच की सेवाओं का अनुरोध किया,लेकिन हो नहीं सका,क्योंकि कुछ छुट्टी पर थे और कुछ राष्ट्रीय खेलों के कारण बाहर थे। चयन समिति में खेल निर्देशक, युवा कल्याण(वरिष्ठ आई.ए.एस.अधिकारी),खेल और युवा कल्याण का संयुक्त निर्देशक(वरिष्ठ एच.सी.एस.अधिकारी)और एक विशेषज्ञ शामिल था।

(9) 100%आरक्षण के संबंध में,यह निवेदन किया गया कि जिन रिक्तियों को भरना आवश्यक था,उन रिक्तियों को रिक्तियों पर ले जाया गया और सही ढंग से दिखाया गया कि आरक्षण सरकारी निर्देशों के अनुसार किया गया है। आरक्षण अत्यधिक न था क्योंकि ये रिक्तियों पर ले जाया गया। चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के ऊपर और न केवल साक्षात्कार पर लेकिन उनकी उपलब्धियों, अनुभव और योग्यता पर भी आधारित थे। चयन बारीकी से संरक्षित रहस्य नहीं था, क्योंकि चुने गए उम्मीदवारों को विधिवत सूचित किया गया था।

(10) समकालीन खेल अत्यंत तकनीकी और विशेष है। है। एक सफल खिलाड़ी, वह एक जिमनास्ट, एक पहलवान या एक बॉक्सर हो, सबको योग्य और समर्पित कोच से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यदि उसे उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना और अपने राज्य और देश के लिए लॉरेल जीतना है। एक कोच वह होता है जिसने अनुशासन में निश्चित स्तर की सफलता हासिल की है और कोचिंग विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। एक कोच और उसके शिष्य के बीच का संबंध मजबूत और पवित्र बंधन है। इसकी तुलना गुरु और उसकी शिष्य के बीच पारंपरिक संबंध से की जा सकती है। यह बिना कारण कहा जा रहा है। भारत में खेल का स्तर काफी अच्छा है। युवा खिलाड़ी मेहनती और समर्पित हैं,लेकिन यह निराशाजनक है कि इनको उच्च स्तर की कोचिंग,मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए,हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य देशों से मेल नहीं खाती।

(11) हाल ही में एथेंस में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में अरब लोगों के एक राष्ट्र ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। इसका अर्थ यह है कि लोगों को लगता है कि उपरोक्त आंकड़े का यही उल्लेख है लेकिन गहरी निराशा की बात यह है कि राज्य या स्पोर्टिंग फेडरेशन द्वारा खेल में सही तरह का प्रयास नहीं डाला जा रहा है। क्या कोच का काम सिर्फ दूसरी नौकरी या उच्च कॉलिंग है। अगर विभाग को केवल नौकरी चाहने वालों का चयन करना है तो चयन ठीक है,आरक्षण अनुसूचित और अन्य श्रेणियां को दिया,असली विशेषज्ञ के बिना पदों को भरा गया है।

(12) हालांकि, अगर कोच का चयन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए और उत्कृष्ट खिलाड़ी और यहां तक कि कुछ चैंपियन को पैदा करने के लिए ह रहा हैं तो कोच की चयन प्रक्रिया को अधिक देखभाल से किया जाना चाहिए, अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक चिन्ह बनाने को तत्पर हैं।

(13) भारत के पास बहुत आध्यात्मिक धन है और वह आर्थिक सफलता की कगार पर है, लेकिन स्पोर्ट्सफीलड्स, जहां चरित्र आकारित और महान शारीरिक करतब प्राप्त होते हैं, वहाँ उत्कृष्ट खिलाड़ी का उत्पादन नहीं हुआ है। भारत में खेल फुले, गाँव और शहर में खेल के स्तर को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए क्योंकि यही नर्सरी है, जहाँ से खिलाड़ी उठते हैं। यह याद रखना चाहिए कि खेल उच्च स्तर के आत्म-अनुशासन और समर्पण को विकसित करने में भी मदद करता है।

(14) 3 नवंबर, 2004 को इस मामले की सुनवाई में, अदालत को सूचित किया गया कि चयन के समाप्त होने के बाद, 1989 में बालबीर सिंह को जूनियर जिम्नास्टिक कोच के रूप में, जबकि गिरिश चंदर को एम.एन.एस. राय में जूनियर कोच के रूप में शामिल किया गया। 2002 में केशो दत्त सेवानिवृत्त हुए जबकि 1989 में अनिल कुमार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया में जूनियर बॉक्सिंग कोच के रूप में शामिल हुए और सार्जेंट जयमंदेर सिंह दहिया ने बॉक्सिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया।

(15) इस तरह सभी याचिकाकर्ताओं ने रोजगार हासिल किया और उनमें से कुछ सेवानिवृत्त या इस्तीफा दे गए। नतीजन इस याचिका का प्रतिपादन किया गया।

(16) इस निर्णय को देने से पहले, एक को विवश किया जाता है कि अगर हरियाणा राज्य को उच्च खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है, तो खेल और युवा कल्याण विभाग को कोच का चयन अधिक समझदारी और परिणाम उन्मुख तरीके से करना चाहिए। यह भी कि आरक्षण व्यक्तिगत खेल के लिए नहीं लेकिन रोटेट्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, वहाँ प्रत्येक श्रेणी । बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल,जिमनास्टिक, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, स्केटिंग, टेबल टेनिस में केवल एक ही पोस्ट थी,अनुलग्नक पी -6 के अनुसार (उदाहरण के लिए संदर्भित) । इन विषयों में से किसी में भी आरक्षण नहीं हो सकता था क्योंकि एक पद को आरक्षित करने से कुल आरक्षण माना जाता, जो कि एपेक्स कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ था। के रूप में. इनमें से किसी

में भी नहीं विषयों में आरक्षण हो सकता था क्योंकि एक को आरक्षित करना पद कुल आरक्षण की राशि होगी जो कानून के खिलाफ थी, जो कि **मेडिकल शिक्षा के पोस्ट स्नातक संस्थान और & अनुसंधान** *बनाम* **फैकल्टी एसोसिएशन (1) में कहा गया है।**

(17) परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए बयान को मद्देनजर रखते हुए, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह निष्फल हो गई है।

आर.ए .आर .

---

(1) (1998) 4 एस.सी.सी. 1

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा